पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2022

अनवान :

1. मनीष कुमार पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. बलवीरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
2. सुमेरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बैरवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 768/677 के खसरा सं0 909 की 8.8680, खसरा सं0 920 की 1.986है0, खसरा सं0 940 की 6.9070है0, कुल खसरा 3 की 17.7610है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 बलवीरसिंह के नाम 5920/17761 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 बलवीरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.6.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 110/2022

अनवान :

1. मनीष कुमार पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. बलवीरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
2. सुमेरसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बेरवाल : **वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 13.6.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 768/677 के खसरा सं0 909 की 8.868है0, खसरा सं0 920 की 1.986है0, खसरा सं0 940 की 6.9070है0, कुल खसरा 3 की 17.7610है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 बलवीरसिंह के नाम 5920/17761 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बलवीरसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में मनीष कुमार पुत्र श्री बलवीरसिंह जाति जाट निवासी कलाना त0 भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी कलाना के संवत 2074–2077 खाता संख्या 768/677 प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि नामांतकरण प्रपत्र (प–21) प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि हकत्याग प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कलाना प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उवत वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने कलाना के राजस्व रिकार्ड में अपने दादा के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 4 में बलवीर के दो पुत्र सुमेरसिंह ओर मनीष कुमार के अलावा वारिस प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 768/677 के खसरा सं0 909 की 8.8680, खसरा सं0 920 की 1.986है0, खसरा सं0 940 की 6.9070है0, कुल खसरा 3 की 17.7610है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 बलवीरसिंह के नाम 5920/17761 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 बलवीरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कलाना के खाता सं0 768/677 के खसरा सं0 909 की 8.8680, खसरा सं0 920 की 1.986है0, खसरा सं0 940 की 6.9070है0, कुल खसरा 3 की 17.7610है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 बलवीरसिंह के नाम 5920/17761 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 बलवीरसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी सं0 2 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner